रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112024-258519 CG-DL-E-07112024-258519

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4456]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 2024/कार्तिक 16, 1946

No. 4456]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 2024/KARTIKA 16, 1946

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2024

का.आ. 4837(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3759 तारीख 03/09/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में डी.एन.डी.-फरीदाबाद-बल्लबगढ़ बाईपास के.एम.पी. लिंक-स्पर से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के जेवर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ग्रीनफील्ड हाईवे के किमी 0+000 से किमी. 18+900 तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौरा करने/ छः लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14/09/2024" को "टॉप स्टोरी" (अंग्रेजी) और "हिरभूमि" (हिंदी) दोनों में प्रकाशित किया गया था; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

7214 GI/2024 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में डी.एन.डी.-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास के.एम.पी. लिंक-स्पर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जेवर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ग्रीनफील्ड हाईवे के कि.मी. 0+000 से कि.मी.18+900 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा			जिले का नाम: फरीदाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का व	नाम: बल्लभगढ़				
गांव का ना	म: मोहना				
1	15//5/2/1	निजी (निजी)	कृषि	0.3364	यशपाल पुत्र लख्मीचंद निवासी तिगांव
2	5//25	अन्य (निजी/ग्राम पंचायत)	कृषि	0.1239	पंचायत देह
3	74//11/3/1	निजी (निजी)	कृषि	0.0354	अमर सिंह पुत्र राधे
4	78//4/2	निजी (निजी)	कृषि	0.0101	परसराम, रघुनाथ, सुरेश पुत्रान हीरालाल पुत्र देवीराम, डालचंद, समय सिंह पुत्रान किशनी, श्रीमती किशनवती पत्नी रघुनाथ सिंह पुत्र हीरालाल, सतवीर पुत्र केवर सिंह पुत्र मिश्रीलाल, श्रीमती सुमन पत्नी मुकेश पुत्र कंवर सिंह

गांव का ना	गांव का नाम: पन्हैड़ा खुर्द				
5	12//17	निजी (निजी)	कृषि	0.0304	देवेन्द्र कुमार, उमेद
					सिंह पुत्रान व श्रीमती
					ललिता, सुनीता
					पुत्रीयान व श्रीमती
					शीला रानी विधवा
					खचेडूमल, जीतराम,
					प्रेमचंद पुत्र रामचन्द्र
					पुत्र रूपा, राजकुमार
					पुत्र लालाराम, मनोज
					कुमार, हरीश कुमार,
					ओमप्रकाश पुत्रान
					मूलचंद पुत्र दीपलाल,
					राजीव, राजेश, विजेश
					पुत्रान लखमीचंद पुत्र
					रूपा, वीना पुत्री एवं
					श्रीमती रामवती
					विधवा रामफल पुत्र
					दीपलाल, कुँवरपाल
					पुत्र शिवचरण,
					भीमसेन, योगेन्द्र पुत्रान
					एवं श्रीमती सविता
					पुत्री वेदराम पुत्र
					रामचन्द्र, श्रीमती मीना
					कुमारी पत्नी सतीश
					कुमार पुत्र ओमप्रकाश
	Total			0.5362	

[फा. सं. NHAI/CMU/MTR/DND/Jewar International Airport/2021/D-3a/3D] अभय जैन, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2024

**S.O. 4837(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. No. 3759(E) Dated:03/09/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of Greenfield Connectivity to Jewar International Airport from DND-Faridabad-Ballabgarh Bypass KMP Link-Spur to Delhi Mumbai Expressway under Bharatmala Pariyojana in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 18.900 in the District of FARIDABAD in the state of HARYANA;

And whereas the substance of the said notification has been published in "**Top Story**" (English) and "**Hari Bhoomi**" (Hindi) both dated 14/09/2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling in Greenfield Connectivity to Jewar International Airport from DND-Faridabad-Ballabgarh Bypass KMP Link-Spur to Delhi Mumbai Expressway under Bharatmala Pariyojana in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 18.900 in the District of FARIDABAD in the state of HARYANA

State: HARYANA			District: FARIDABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: B	allabgarh				
Village: I	Mohna				
1	15//5/2/1	Private	Agriculture	0.3364	Yashpal S/o Lakhmichand R/o Tigaon
2	5//25	Common (Private/Gram Panchayat)	Agriculture	0.1239	Panchayat Deh
3	74//11/3/1	Private	Agriculture		Amar Singh S/o Radhe
4	78//4/2	Private	Agriculture		Parasram, Raghunath, Suresh Ss/o Heeralal S/o Deviram, Dalchand, Samay Singh Ss/o Kishni, Smt. Kishanwati W/o Raghunath Singh W/o Hiralal, Satveer S/o Kishani, Mukesh S/o Kanwar Singh

					S/o Mishrilal, Smt. Suman W/o Mukesh S/o Kanwar Singh
Village: Panhera Khurd					
5	12//17	Private	Agriculture		Devendra Kumar, Umed Singh Ss/o and Mrs. Lalita, Sunita Ds/o and Mrs. Sheela Rani W/o Khachedumal, Jeetram, Premchand Ss/o Ramchandra S/o Rupa, Rajkumar S/o Lalaram, Manoj Kumar, Harish Kumar, Omprakash Ss/o Moolchand S/o Deeplal, Rajiv, Rajesh, Vijesh Ss/o Lakhmichand. Son Roopa, Veena D/o and Mrs. Ramvati W/o Ramphal S/o Deeplal, Kunwarpal S/o Shivcharan, Bhimsen, Yogendra S/o and Mrs. Savita D/o Vedram S/o Ramchandra, Mrs. Meena Kumari W/o Satish Kumar S/o Omprakash
			Total	0.5362	

[F. No. NHAI/CMU/MTR/DND/Jewar International Airport/2021/D-3a/3D]
ABHAY JAIN, Director